न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 02/2025 जीसीएमएस वाद संख्याः–2025/158

प्रार्थीगण	**बनाम**	अप्रार्थीगण
1. जोगसिंह पुत्र पीरसिंह जाति राजपुत निवासी अमरापुरी तहसील सांचौर जिला जालोर।		1. कृष्ण पुत्र खुमाराम। 2. पनाराम पुत्र खुमाराम। 3. बलतंताराम पुत्र खुमाराम। 4. मोहनलाल पुत्र खुमाराम। 5. शंकराराम पुत्र खुमाराम। 6. सांवलाराम पुत्र खुमाराम जातियान कोली निवासीगण अमरापुरी तहसील सांचौर। 7. भूमिधारी तहसीलदार सांचौर।

अन्तर्गत धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

प्रार्थी अधिवक्ता श्री श्रीपाल दवे।

अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से अधिवक्ता श्री लाधुसिंह किलवा।

अप्रार्थी संख्या 1 से 4 व 6 एकपक्षीय

अप्रार्थी संख्या 7 की ओर से नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांकः–30.01.2026

1. प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व अंतर्गत धारा 111,128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसके तथ्य संक्षेप में प्रार्थना पत्र के अनुसार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि सरहद मौजा अमरापुरी, हल्का–बिछावाडी, तहसील–सांचौर, जिला–जालोर में नवीन खाता नंबर–2562/364, 2563/364, 2565/365, 2566/365 कुल रकबा 5.0392 हैक्टेयर की आई हुई है। प्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि के पड़ोस में अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर–397 रकबा 4.1700 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर–399/2014 रकबा 0.200 हैक्टर किस्म बारानीदोयम जुमले रकबा 4. 3700 हैक्टर की भूमि आयी हुई है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 मुझ प्रार्थी की खातेदारी सुदाभूमि खेत खसरा नंबर–2566/365 रकबा 0.6496 हैक्टर भूमि की माठे आये दिन तोड़ते रहते है तथा मेरी उक्त खातेदारी भूमि को उनके खेत में मिलाना चाहते हैं। अप्रार्थीगण संख्या–1 ता 6 ने पूर्व में मेरी उक्त खातेदारी भूमि की माठे तोड़ी थी जिस पर तहसीलदार सांचौर से भूमि की पैमाईश करवायी थी जिसकी हल्का पटवारी बिछावाडी द्वारा मौका फर्द तैयार की गई है, जिसकी नकल संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। अप्रार्थीगण संख्या–1 ता 6 मेरी उक्त खातेदारी भूमि की गाठे तोड़ते रहते है इस कारण मैं प्रार्थी मेरी खातेदारी भूमि की पत्थर गड्डी करवाना चाहता हूं सो एतर्थ प्रार्थना पत्र बाबत करने पत्थर गड्डी का माननीय

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

अदालत में पेश है। अतः प्रार्थना पत्र मयं शपथ पत्र पेश कर माननीय अदालत से निवेदन है कि वाके सरहद मौजा अमरापुरी पटवार हल्का–बिछावाडी, तहसील–सांचौर में स्थित प्रार्थी की खातेदार आराजी खेत खसरा 2562 / 364, 2563 / 364, 2565 / 365, 2566 / 365 कुल रकबा 5.0392 हैक्टर भूमि की पत्थर गड्डी कर माठे कायम करने का आदेश प्रदान करने की कृपा करावें।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 व 6 बाद तामिल उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 5 की ओर अधिवक्ता श्री लाधुसिंह किलवा उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 7 की ओर से नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित।

3. अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से अधिवक्ता श्री लाधुसिंह किलवा द्वारा जवाब पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र का फिकरा नम्बर 01 एवं 02 आंशिक रुप से राजस्व रेकर्ड की पुष्टि तक सही होने से स्वीकार है अन्य तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र में वर्णित हस्तगत खातेदारी आराजी पर किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त नहीं है। कब्जे काश्त के अभाव मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारीज है। प्रार्थी द्वारा अपने खेत के चारों दिशाओ में स्थित पडोसी खातेदारो को पक्षकार के रुप मे संयोजित नहीं किया गया। जिसके अभाव में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र कानूनीया पोषणीय नही होने से काबिल खारीज है। प्रार्थना पत्र का फिकरा नम्बर 03 गलत होने से अस्वीकर है। जवाब इस प्रकार है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र में वर्णित हस्तगत खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 2566 / 365 रकबा 0.6496 हैक्टेयर भूमि पर किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त नहीं है, प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी पर हमारा कब्जा काश्त है। इसलिए प्रार्थी कानूनन न्यायालय से उक्त भूमि की नेखमबन्दी / पत्थगढी आदेश करवाने के हकदार नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारीज है। प्रार्थी के नाम भूमि खसरा नम्बर 2566 / 365 रकबा 0.6496 हैक्टेयर भूमि हमारा कब्जा व काश्त हमारे पुर्वजो के समय से निरन्तर चला आ रहा है, जो प्रार्थी की जानकारी में है तथा हमारा उक्त भूमि पर एडवर्स पजेशन होने से हस्तगत भूमि पर हमे खातेदारी हक स्वतः ही मिल चुके है तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि पर हमारा पुराना कब्जा कब्जा काश्त होने से मौके पर पुरानी माठे कायम है तथा प्रार्थीगण पत्थरगढी के माध्यम से जानबुझकर हमे हमारे कब्जा काश्त से बेदखल कराने की कोशिश में है। विधि अनुसार किसी कब्जेधारक को विधिक प्रक्रिया अपनाए बगेर बेदखल नहीं किया जा सकता है तथा इस प्रकार की पत्थरगढी की आड मे बेदखल नहीं किया जा सकता है। चूँकि विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि कब्जे से संबधित कोई विवाद है तो सर्वप्रथम कब्जे के विवाद का निपटारा सक्षम अदालत से बेदखली का वाद पेश कर अतिक्रमी को बेदखल करवाया जा सकता है। हस्तगत भूमि पर प्रार्थी का कोई कब्जा काश्त नहीं होने से कब्जे काश्त के अभाव मे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र कानूनीया पोषणीय नही होने से खारीज फरमावे। प्रार्थना पत्र का फिकरा नम्बर 04 व 05 गलत होने से अस्वीकार है तथा जवाब इस प्रकार है कि प्रार्थी ने वादग्रस्त भूमि के पडोस मे स्थित चारों दिशाओ के खसरान भूमि का आदेश नही करावाया तथा हल्का पटवारी ने भी वादग्रस्त खेत की चारो दिशाओ का सीमांकन नही किया

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर जिला जालोर सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

है। चूंकि हस्तगत प्ररकरण विशुद्ध रुप से पत्थर गड्डी का नही है। किसी खातेदार का उसकी भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होता है तो उसे न्यायालय मे अतिक्रमी के विरुद्ध वाद पेश कर उसे बेदखल कराने का अधिकार रहता है तथा बगेर कब्जा काश्त के न्यायालय से नेखमबन्दी / पत्थगढी आदेश नही करवाया जा सकता है। प्रार्थना पत्र का फिकरा नम्बर 05 गलत होने से अस्वीकार है. जवाब इस प्रकार है कि कब्जा काश्त के अभाव मे तथा सभी पडोसी खातेदारो को पक्षकार के रुप मे संयोजित नहीं करने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र कानूनीया पोषणीय नहीं होने से काबिल खारीज है। प्रार्थना पत्र का फिकरा नम्बर 06 व 07 कानूनीया है। कब्जा काश्त के अभाव में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र कानूनीया पोषणीय नही होने से कानूनन प्रार्थीगण उक्त खेत की पत्थरगढी का आदेश प्राप्त करने के हकदार नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहिन, बलहिन व रेकर्ड व मौके के विपरीत होने से एवं मौके पर प्रार्थी का कोई कब्जा नहीं होने से एवं दस्तावेजी साक्ष्य सबूतो से अप्रमाणित होने से सादर खारीज करावे

4. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि सरहद मौजा अमरापुरी, हल्का—बिछावाडी, तहसील सांचौर, जिला जालोर में खसरा नंबर 2562/364, 2563/364, 2565/365, 2566/365 कुल रकबा 5.0392 हैक्टेयर स्थित है। इसके पड़ोस में अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 397 व 399/2014 स्थित है। अप्रार्थीगण मेरी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 2566/365 की माठे बार—बार तोड़कर उसे अपने खेत में मिलाने का प्रयास करते हैं। पूर्व में माठे तोड़े जाने पर तहसीलदार सांचौर से पैमाइश करवाई गई, जिसकी मौका फर्द पटवारी द्वारा तैयार की गई है। अप्रार्थीगण द्वारा निरंतर माठे तोड़े जाने से विवाद उत्पन्न हो रहा है, अतः प्रार्थी अपनी भूमि की पत्थर गड्डी कर माठे कायम करवाना चाहता है। इसलिए माननीय न्यायालय से निवेदन है कि प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी भूमि की पत्थर गड्डी कर माठे कायम करने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

5. अप्रार्थी संख्या 5 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र के फिकरा नम्बर 01 एवं 02 आंशिक रूप से राजस्व रिकार्ड की पुष्टि तक स्वीकार हैं, शेष तथ्य गलत होने से अस्वीकार हैं। प्रार्थी का खसरा नम्बर 2566/365 रकबा 0.6496 हैक्टेयर भूमि पर कोई कब्जा—काश्त नहीं है, जबकि उक्त भूमि पर हमारा कब्जा—काश्त पूर्वजों के समय से निरन्तर चला आ रहा है तथा मौके पर पुरानी माठे विद्यमान हैं। कब्जा—काश्त के अभाव में प्रार्थी पत्थरगढी/नेखमबन्दी आदेश का हकदार नहीं है। प्रार्थी द्वारा चारों दिशाओं के पड़ोसी खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है, जिससे प्रार्थना पत्र कानूनी रूप से पोषणीय नहीं है। प्रार्थी पत्थरगढी की आड़ में हमें बेदखल करने का प्रयास कर रहा है, जबकि विधि अनुसार बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के किसी कब्जेदार को बेदखल नहीं किया जा सकता। फिकरा नम्बर 03, 04 एवं 05 गलत होने से अस्वीकार हैं। हल्का पटवारी द्वारा चारों दिशाओं का सीमांकन भी नहीं किया गया है। यह प्रकरण विशुद्ध रूप से कब्जे का विवाद है, जिसका निपटारा केवल बेदखली वाद

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर जिला जालोर सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

द्वारा ही संभव है। अतः कब्जा–काश्त के अभाव एवं कानूनी त्रुटियों के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन, बलहीन व अप्रमाणित होने से सादर खारिज किया जावे।

6. हमने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन व अवलोकन किया गया। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता के तथ्यों पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थीगण के प्रार्थना पर तहसीलदार सांचौर से सीमांकन आदेश पर हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 17.07.2025 को प्रार्थी की आराजी मौजा अमरापुरी, हल्का–बिछावाडी, में खसरा नंबर 2562/364, 2563/364, 2565/365, 2566/365 कुल रकबा 5.0392 हैक्टेयर आराजी का मौका तस्दीक किया गया, मौका फर्द अनुसार नक्शा फर्द में बी से सी तक की माठ जो खसरा संख्या 397 से लगती हुई है, मौके पर उक्त माठ पर विवाद है। खसरा संख्या 397 के खातेदारान को सूचित करने पर कोई उपस्थित नहीं हुए। ऐसी स्थिति में प्रार्थी मौके पर सीमा विवाद के समाधान हेतु पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है। अतः सरहद मौजा अमरापुरी, हल्का–बिछावाडी, तहसील सांचौर में खसरा नंबर 2562/364, 2563/364, 2565/365, 2566/365 कुल रकबा 5.0392 हैक्टेयर व अप्रार्थी संख्या 1 से 6 की आराजी नवीन खसरा नम्बर 397 रकबा 4.17 हे. आराजी के मध्य माठ वादग्रस्त होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

1. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सांचौर को आदेश दिया जाता है कि सरहद मौजा अमरापुरी, हल्का–बिछावाडी, तहसील सांचौर में खसरा नंबर 2562/364, 2563/364, 2565/365, 2566/365 कुल रकबा 5.0392 हैक्टेयर व अप्रार्थी संख्या 1 से 6 की आराजी नवीन खसरा नम्बर 397 रकबा 4.17 हे. आराजी के मध्य माठ की पैमाईश कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढ़ी हेतु एक कमेटी का गठन करवा कर 30 दिवस में पालना प्रस्तुत करें एवं आप द्वारा गठित टीम को निर्देशित करें कि दोनों पक्षों को सूचित कर उनके रूबरू मोमियॉ नक्शा ट्रेस सहित लट्ठा नक्शा से पैमाईश करें, तथा सीमांकन कर पत्थरगढ़ी करवायें। इस आदेश की पालना हेतु आदेश की प्रति तहसीलदार सांचौर को भेजी जावें। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा वहन करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

निर्णय आज दिनांक 30.01.2026 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सांचौर जिला जालोर